न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–डा.गुंजन सोनी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 42/2015

1. राजेन्द्र पुत्र स्व. लक्ष्मणदास जाति अरोड़ा सेतिया निवासी कस्बा सूरतगढ़
2. राकेश पुत्र स्व. लक्ष्मणदास जाति अरोड़ा सेतिया निवासी कस्बा सूरतगढ़
3. आरती पुत्री स्व. लक्ष्मणदास जाति अरोड़ा सेतिया निवासी कस्बा सूरतगढ़
4. सुमनलता पुत्री स्व. लक्ष्मणदास जाति अरोड़ा सेतिया निवासी कस्बा सूरतगढ़

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़ की ओर से

निर्णय

दिनांकः–21.10.2019

1. यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 03.06.2006, जिसके द्वारा अपीलांटगण के पिता स्व. लक्ष्मणदास पुत्र हजारी दास के नाम टी.सी. आंवटित भूमि वाके रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 383/4 की 6.325 है0 भूमि पैराफेरी में मानकर खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2006 अपीलांट को सुने बिना, बिना साक्ष्य के एवं अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काश्त को निरस्त किया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्स के पिता लक्ष्मणदास को कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 383/4 की 6.325 है भूमि आराजी काश्त पर आवंटित हुई थी जिसका समय–समय पर नवीनीकरण सम्वत 2061 तक होता रहा है व रकम कायम होती रही तथा कब्जा बदस्तूर बना रहा। अपीलांट के पिता द्वारा उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। पटवारी हल्का ने पूर्णतया एक तरफा रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में आता है व शर्तों का उल्लंघन किया है। इस रिपोर्ट पर अपीलाधीन भूमि का टी.सी. आवंटन निरस्त करने बाबत किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। आवंटी लक्ष्मणदास की मृत्यु 26.08.2014 को हो गई। अतः हम उनके जायज वारिस है एवं हितबद्व व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय को टी.सी. रकबा खारिज करने का अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त मे चली आ रही थी। पैराफेरी क्षेत्र स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार देने के नियम व पद्वति तथा प्रणाली राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की जा चुकी है। अतः अपीलांट उक्त भूमि की खातेदारी लेने के हकदार है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे व मातहत न्यायालय का निर्णय खारिज किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

3.अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा उपस्थित आये व पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4 अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स के पिता लक्ष्मणदास को कस्बा सूरतगढ़ का खसरा नं. 383/4 की 6.325 है भूमि आराजी काश्त पर भूमि आवंटित हुई थी जिसका समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा कब्जा बदस्तूर बना रहा। हमारे पिता द्वारा उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया गया। पटवारी हल्का ने तहसीलदार सूरतगढ़ को रिपोर्ट पेश की, कि आवंटी द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया है, परन्तु यह पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया कि किन शर्तो का उल्लंधन किया है। अपीलांट की उक्त भूमि पैराफेरी क्षेत्र से 9 किमी दूर है। इस रिपोर्ट पर अपीलाधीन भूमि का टी.सी. आवंटन निरस्त करने बाबत किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय को टी.सी. खारिज करने का अधिकार ही नहीं है। अपीलाधीन आदेश में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया है जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त मे चली आ रही है। तहसीलदार को टी. सी. आवंटन निरस्त करने का अधिकार नही है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं है। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला अपने निर्णय में दिया है वे इस मामले में लागू नहीं होते है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार शक्तियां जिला कलक्टर को प्रदत्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिया जावे कि उक्त रकबा को गैरखातेदारी दर्ज किया जाकर खातेदारी सनद जारी की जावे। अपीलांटगण उक्त रकबा बाबत नियमानुसार 10 प्रतिशत राशि जमा करवाने को तैयार है। चूंकि आवंटी लक्ष्मणदास का निधन हो चुका है व अपीलांटगण आवंटी लक्ष्मणदास के जायज वारिस व वर्तमान में उक्त रकबा अपीलांटगण के कब्जा काश्त में है जिससे अपीलांटगण प्रकरण में हितबद्व व्यक्ति है व अपीलांटगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। साथ ही अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 03.6.2006 खारिज किया जावे। अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा मा.उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील सं. 5106/2000 जगदीश साहनी बनाम हरबंशसिंह आदि में दिनांक 19.09.09 को पारित निर्णय व कानूनी नजीर आरआरडी 14.07.17 पेज 445, आरआरडी अक्टूबर 2005 पेज 627 की ओर ध्यान दिलाया।

5.पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त रकबा पैराफेरी क्षेत्र में है जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है तथा जिसका रेस्पोडेंट द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है। इसलिये प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 03..06.2006 में यह तथ्य अंकित किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 383/4 की 6.325 है अर्थात 25.00 बीघा भूमि अपीलांटस के पिता लक्ष्मणदास पुंत्र हजारीलाल को टी.सी. पर आवंटन हुई थी जो संवत 2061

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

तक नवीनीकरण होती रही। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त टी.सी. आवंटन राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए निरस्त की गई है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) 1955 की शर्तो व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अतर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने नियमों के नियम सन 1996 के अंतर्गत उक्त अस्थाई आवंटन खारिज किया गया है। परन्तु अस्थाई आवंटी द्वारा किन–2 शर्तो का उल्लंघन किया गया है यह अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित नहीं किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलाधीन भूमि सम्वत 2061 तक तहसीलदार द्वारा नवीनीकरण होना अंकित किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो इस प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि अपीलाधीन भूमि अपीलांटस के पिता लक्ष्मणदास पुत्र हजारीलाल को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प.9(25)राज./16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरी क्षेत्र में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अुनसार जिला कलक्टर महोदय को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन है जिसे कायम रखा जाना उचित नहीं है।

अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 03.06.2006 को पारित निर्णय निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.x.19

(डा0गुंजन सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner